





भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, **Makhupura Industrial Area** अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स न 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 38RAJ09003

संख्या : RAJ/CHT/LST-6 Vol.-III

दिनांक : 05.09.2019

प्रमेंट, मालियाखेड़ा चूना पत्थर खान,

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,

(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),

कैलाश नगर- 312617,निम्बाहेरा,जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान)

ईमेल- maheem.kachhwaha@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Maliakhera Limestone Mine (M.L. No. 4/2003, Lease area 315.4090 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 14.08.2019 by the undersigned in presence of Sh. Dilip Kumar Dhakar, Mine Manager:

Statut, White Manager.	
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 29.11.2018): -
	(i) Mine development of IV & V benches between section line ML2 to ML4 have not been carried
	as per approved proposal.(Refer plate no. 7A)
Rule 45(7)	In annual return 2018-19 following descripencies were observed:
	1) Area under Roads+ Infrastructure was proposed 7.454 hect. up to the end of year 2019-
	20 in approved modified mining plan but in annual return area shown 8.903 hect. under these both heads.
	2) Item 3(ii) of part II: Total salaries paid to technical and supervisory staff in the mine during the year has been shown Zero rupees.
	3) Item 2 of Part VI: Opening stock of limestone at mine head has been shown as 0 tonnes whereas large quantity of subgrade limestone has been stacked within the lease area.
	4) Cost of production as reported in Part VII does not tally with expenditure details reported in Annual Return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।
- आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- खनन पटटे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोडगढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो